2023 का विधेयक संख्यांक 176.

[दि नेशनल कैपिटल टेरिटरी आफ दिल्ली लॉज (स्पेशल प्रोविजन) सेकेंड (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

दीर्घ शीर्ष का संशोधन ।

2. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के दीर्घ शीर्ष में "2023" अंकों के स्थान पर, "2026" अंक रखे जाएंगे ।

उद्देशिका का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की उद्देशिका में,—

(क) सातवें पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्

:—

"और अप्राधिकृत कालोनियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019 में यथाउपबंधित विकास नियंत्रण संनियम 8 मार्च, 2022 को अधिसूचित किए गए हैं ;

और अप्राधिकृत कालोनियों के लिए विकास संनियमों के अनुसार अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकारों को प्रदत्त करने की प्रक्रिया तथा कार्रवाई प्रगति के अधीन हैं और इसमें समय लगेगा ;";

(ख) सतरहवें पैरा का लोप किया जाएगा ;

(ग) अंतिम पैरा में, "2023" अंकों के स्थान पर, "2026" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 1 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) में, "2023" अंकों के स्थान पर, "2026" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (3) में, "2023" अंकों के स्थान पर, "2026" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में, "2023" अंकों के स्थान पर, "2026" अंक रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पिछले अनेक वर्ष से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की असाधारण वृद्धि से आवास, वाणिज्यिक स्थान और अन्य नागरिक संबंधी सुख-सुविधाओं की मांग में वृद्धि हुई है । मांग और पूर्ति में अंतराल का परिणाम सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, स्लम की वृद्धि, अप्राधिकृत संनिर्माण आदि की समस्याओं के रूप में हुआ है ।

2. दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2006 को दिल्ली में अप्राधिकृत विकास के कतिपय रूपों को दांडिक कार्रवाई से संरक्षित करने के लिए 19 मई, 2006 को आरंभत: एक वर्ष की अवधि के लिए अधिनियमित किया गया था । दिल्ली में अप्राधिकृत विकास के कतिपय रूपों का यह संरक्षण तत्पश्चात् समय-समय पर अध्यादेशों और अधिनियमित अधिनियमों के माध्यम से जारी रहा ।

3. वर्ष 2011 में, एक वृहत्त विधान अर्थात् दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 अधिनियमित किया गया था, जो 31 दिसंबर, 2014 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य था । इस अधिनियम की विधिमान्यता को आवश्यक उपांतरणों सहित समय-समय पर विस्तारित किया गया है और इसकी वर्तमान विधिमान्यता 31 दिसंबर, 2023 तक है ।

4. 2011 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्लम निवासियों और झुग्गी-झोंपड़ी समूहों ; अप्राधिकृत कालोनियों, गांव के आबादी क्षेत्र (जिसके अंतर्गत शहरी ग्राम भी हैं) और उसके विस्तार ; ऐसे फार्म हाऊस, जिनमें अनुज्ञेय भवन सीमाओं से परे संनिर्माण अंतर्वलित है, विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर निर्मित भंडारणों, भांडागारों और गोदामों, जिनका उपयोग कृषि इनपुट या उपज (जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन और कुक्कुट पालन भी है) के लिए किया गया है ; विद्यमान गोदाम समूहों के पुनर्विकास (जिसके अंतर्गत गैर-कृषि माल के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले भी सम्मिलित हैं) के लिए दिशानिर्देश ; विशेष क्षेत्रों के पुन:स्थापन और पुनर्वासन तथा मास्टर प्लान के अनुसार उसके पुनरीक्षण पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के सभी अन्य क्षेत्रों के लिए क्रमबद्ध इंतजाम करने हेतु नीति या योजना की बाबत क्रमबद्ध इंतजाम किया जाना था ।

5. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2019 को अधिनियमित किया गया है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 को अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों को स्वामित्व संबंधी अधिकारों को प्रदत्त करने के लिए 29 अक्तूबर, 2019 को अधिसूचित किया गया है । इन अप्राधिकृत कालोनियों के लिए विकास नियंत्रण संनियमों को 8 मार्च, 2022 को अधिसूचित किया गया है । परिपेक्षित वर्ष 2041 के साथ दिल्ली मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें अप्राधिकृत विकास जैसे झुग्गी-झोंपड़ी समूहों, अप्राधिकृत कालोनियों आदि के उपायों को सम्मिलित किया जा रहा है । अप्राधिकृत विकास से निपटने की प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा । इसलिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में अप्राधिकृत विकास के कतिपय रूपों को दांडिक कार्रवाई से प्रदत्त संरक्षण को जारी रखने की आवश्यकता है ।

6. वर्ष 2011 का अधिनियम 31 दिसंबर, 2023 तक विधिमान्य है और इस अप्राधिकृत विकास, जहां पर्याप्त उपाय किए जाने है, के संरक्षण को जारी रखने की आवश्यकता है ।

7. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023, उक्त अधिनियम की विधिमान्यता का 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2026 तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए विस्तार करने का उपबंध करने के लिए है ।

8. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
10 दिसंबर, 2023

हरदीप एस पुरी

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंधों में भारत की संचित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 20)

* * * * *

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

* * * * *

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 में यथा उपबंधित अप्राधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदत्त करने की प्रक्रिया तथा अप्राधिकृत कॉलोनियों के लिए विकास नियंत्रण संनियम को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है और इसमें समय लगेगा ;

* * * * *

और दिल्ली विकास (मास्टर प्लान और जोनल विकास प्लान) नियम, 1959 का नियम 12 प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर संपूर्ण मास्टर प्लान या उसके कसी भाग के संशोधन का यदि आवश्यक हो, उपबंध करता है और तद्नुसार पूर्वोक्त नियम 12 के अनुसरण में, 7 फरवरी, 2007 को अधिसूचित मास्टर प्लान के उपबंधों के पांचवर्षीय पुनरीक्षण की प्रक्रिया ऐसे उपांतरणों के लिए और मूल वास्तविकताओं के आधार पर जो कुछ सामने आया है उसे अद्यतन बनाए जाने के लिए की जा रही है, जिसे अंतिम रूप देने में कुछ समय लगने की संभावना है;

* * * * *

और यह समीचीन है कि ऊपर निर्दिष्ट नीतियों के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की बाबत किसी अभिकरण द्वारा किसी दांडिक कार्रवाई के विरुद्ध दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनता को राहत राहत देने और अपरिहार्य कठिनाइयों तथा अपूर्णनीय हानि को कम करने का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम को 31 दिसम्बर, 2023 तक की अवधि के लिए जारी रखते हुए दिल्ली मास्टर प्लान के निबंधनों के अनुरूप कोई विधि हो;

* * * * *

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और अवधि ।

1. (1) * * * *

(4) यह अधिनियम, 31 दिसंबर, 2023 को उन बातों के सिवाय, प्रवर्तन में नहीं रहेगा, जो ऐसे प्रवर्तन में न रहने के पूर्व की गई हों या जिनका किए जाने से लोप किया गया हो, और ऐसे प्रवर्तन में न रहने पर साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 इस प्रकार लागू होगी, मानो यह अधिनियम, केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया हो । 1897 का 10

* * * * *

प्रवर्तन का प्रास्थगित रखा जाना ।

3. (1) * * * *

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सभी

सूचनाएं निलंबित की गई समझी जाएंगी और 31 दिसंबर, 2023 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यदि—

(क) उसका निर्माण उपधारा (2) में यथा प्रगणित विभिन्न क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट तारीखों से पूर्व किया जाता है;

(ख) वह प्रवृत्त सुरक्षा मानकों या ऐसी अन्य सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुरूप है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं; और

(ग) वह केन्द्रीय सरकार द्वारा सुरक्षा के संबंध में जारी निदेशों, यदि कोई हों, का अनुपालन करता है;

परन्तु यह कि किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करना अपेक्षित होने की दशा में संबंधित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्राशासक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का पूर्व अनुनोदन अभिप्राप्त किया जाएगा ।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार 31 दिसंबर, 2023 के पूर्व किसी भी समय यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) में वर्णित अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की बाबत छूट को, अधिसूचना द्वारा, वापस ले सकेगी ।

* * * * *